फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर

प्रार्थी– छोटीलाल

अप्रार्थी– नारायण सहाय व अन्य

केस संख्या : 45 / 2013

निर्णय दिनांक : 15.06.2016

**<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी</u>**

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 15.06.2016 | आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।<br><br>वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ल. 3 उप0। तहसीलदार मौजमाबाद की ओर से पैरोकार राज0 उप0।<br><br>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी खसरा नंबर 2359 / 535 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 538 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 540 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर ग्राम गुढाबेरसल, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का रिकॉर्डेड खातेदार है। आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है जो प्रार्थी को आपसी मौखिक बंटवारे अनुसार प्राप्त हुई है। आराजीयात की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रखी है एवं ना ही सीमाज्ञान हो रखा है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी प्रार्थी की आराजीयात पर जबरन बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर आराजीयात को हडपने पर आमादा है इस कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की सुरक्षार्थ प्रार्थी की आराजीयात पर पत्थरगढी एवं नक्शे में तरमीम के आदेश प्रदान किये जावे।<br><br>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 07.5.14 को अप्रार्थी सं. 1 व 3 के विरूद्व एवं दिनांक 30.6.14 को अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्व न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। जिसके विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 ल. 3 की ओर से कृष्ण कुमार लखेरा एडवोकेट ने उप0 होकर दिनांक 09.7.14 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी प्रस्तुत किया।<br><br>वकील पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई बाद बहस प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।<br><br>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी व तरमीम पर वकील प्रार्थी व पैरोकार राज0 की बहस सुनी गई। पैरोकार राज0 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।<br><br>बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। | |

Scanned with CamScanner

बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी खसरा नंबर 2359/535 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 538 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 540 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर ग्राम गुढाबेरसल, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का रिकॉर्डेड खातेदार है। पक्षकारान में सीमा विवाद रहता है जिसके स्थायी निस्तारण के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मौजमाबाद को आदेश दिया जाता है कि खसरा नंबर 2359/535 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 538 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 540 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर ग्राम गुढाबेरसल, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की भूमि की सीमाओ पर पडौसी काश्तकारो की उपस्थिति एवं सहमति से पत्थरगढी की कार्यवाही करे। वर्तमान नक्शे में तरमीम करवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बोराज में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner